



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

1 बैशाख, 1944 (श०)

संख्या – 185 राँची, बुधवार,

21 अप्रैल, 2022 (ई०)

परिवहन विभाग

(लीड एजेन्सी, सड़क सुरक्षा)

अधिसूचना

18 अप्रैल, 2022

संख्या-पत्रांक-परि.वि.(स.मु.) 09/2022/162--“मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 की सं.- 32) की धारा 161 की उपधारा (2) तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.- 162(अ) तथा सा.का.नि.- 163(अ) द्वारा “केन्द्रीय मोटर यान (मोटर यान दुर्घटना निधि) नियम, 2022” तथा “टक्कर मार कर भागना मोटर यान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2022” अधिसूचित किया गया है जिसमें हिट एंड रन (Hit & Run) सड़क दुर्घटना मामलों में पीड़ितों को मुआवजा हेतु संबंधित पदाधिकारी एवं मुआवजा आवेदन करने की रीति का निम्न रूपेण प्रावधान किया गया है:-

हितधारक:-


- दावा जांच अधिकारी का अर्थ है अनुमण्डल पदाधिकारी।
- दावा निपटान आयुक्त का अर्थ है उपायुक्त।

- जिला स्तरीय समिति:- प्रत्येक जिले में एवं जिला स्तरीय समिति होगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे-

क्र.सं.	पद	स्थान
1	दावा निपटान आयुक्त	अध्यक्ष
2	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट दावा जांच अधिकारी	सदस्य
3	जिले के पुलिस अधीक्षक या उप पुलिस अधीक्षक(मुख्यालय)	सदस्य
4	जिले के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी	सदस्य
5	जिला परिवहन पदाधिकारी	सदस्य
6	अध्यक्ष द्वारा मनोनीत सड़क सुरक्षा पहलुओं से जुड़े जनता या स्वैच्छाया संगठन का कोई सदस्य	सदस्य
7	सामान्य बीमा परिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी	सदस्य सचिव

- जिला स्तरीय समिति, अधिसूचना संख्या- 163(अ) "टक्कर मार कर भागना मोटर यान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2022" के अनुसार बैठक का आयोजन तथा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगी।
- सामान्य बीमा परिषद द्वारा "मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019" की धारा 161 और इस स्कीम के अधीन दावों के निपटान के लिए प्रत्येक जिले में अपने किसी अधिकारी को बीमा कम्पनी में नाम निर्दिष्ट करेगी।

हिट एंड रन (Hit & Run) - सड़क दुर्घटना मामलों में मुआवजा आवेदन की रीति:-



कमल किशोर सोन
सचिव-सह-परिवहन आयुक्त,
परिवहन विभाग।

NOTIFICATION

Dated- 18.04.2022


No. - परि०वि०(स०सु०)- 09 / 2022 / 162-- In the light of the provisions mentioned in the sub-section (2) of section 161 of The Motor Vehicles (Amendment) Act, 2019 (No. 32 of 2019) and Notification No. G.S.R.-'162(E) Central Motor Vehicles (Motor Vehicle Accident Fund) Rules, 2022' and G.S.R – '163(E) Compensation to Victims of Hit and Run Motor Accidents Scheme, 2022' of the Ministry of Road Transport and Highways, process flow and the stakeholders involved for claiming compensation by a victim in Hit and Run cases have been outlined below:

Stakeholders Involved:-

- “Claims Enquiry Officer” means the Sub-Divisional Officer,
- “Claims Settlement Commissioner” means the Deputy Commissioner,
- District Level Committee:— There shall be a District Level Committee in each District consisting of the following members, namely: —

S.No	Designation	Position
1	Claims Settlement Commissioner	Chairperson
2	Claims Enquiry Officer, nominated by the State Government.	Member
3	Superintendent of Police or Deputy Superintendent of Police (Headquarter) of the District.	Member
4	Chief Medical Officer of the District.	Member
5	District Transport Officers	Member
6	Any member of the public or a voluntary organisation connected with road safety aspects as nominated by the Chairperson.	Member
7	An officer nominated by the General Insurance Council.	Member-Secretary

- The District level Committee shall organized meetings and shall undertake all function connected with implementation of the this scheme at district level.
- General insurance council shall nominate any of its officers of an insurance company in each district for settlement of claims under section 161 of The Motor Vehicle (Amendment) Act, 2019 and this scheme.

Process flow for claiming compensation by a victim in Hit and Run cases:-**Kamal Kishore Soan**

Secretary,
Department of Transport,
Government of Jharkhand.